ALL INDIA FORWARD BLOC

CENTRAL COMMITTEE

28, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi-110 001

Phone: +91-11-23714131, 23352273, Telefax : 23714131

E-mail: forwardbloc@forwardbloc.org

Website : www.forwardbloc.org

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लाक آل انڈیا فارورڈ بلاک

PRESS RELEASE

8th June 2010, New Delhi

BHOPAL VERDICT :
AN INSULT TO THE VICTIMS AND A MESSAGE TO THE US NUCLEAR COMPANIES

The Bhopal CJM Court order on the genocide of Union Carbide on 2nd December 1984 is highly disappointing and an insult to the victims of the tragedy.

The CBI, which is directly under the control of Congress (I) led Union Government has miserably failed to convince the court about the gravity and disaster of the tragedy.

It seems that the government of India forced the CBI to keep a low profile and for sending a clear message to the US based chemical and nuclear companies that nothing will happen to you if any disaster occur due to your negligence. It is imperative to connect this issues with the pending Nuclear Liability Bill, which put no liability to the US based nuclear trading companies. The UPA government should clarify its position.

The government of India should move appeal to the highest court against this verdict without any delay.

भोपाल फैसलाः

पीड़ितों का अपमान और अमेरिकी परमाणु कंपनियों के लिये संदेश।

2 दिसम्बर 1984 को यूनियन कार्बाइड के नरसंहार पर भोपाल के सीजीएम कोर्ट का फैसला बेहद ही निराशाजनक है और इस त्रासदी में शिकार लोगों के के लिये एक अपमान है।

हमारे देश की सीबीआई, जिसकी कांग्रेस (आई) नीत संप्रग सरकार के हाथ में है, इस त्रासदी की गंभीरता और आपदा के बारे में अदालत को समझाने में नाकाम रही।

ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने सीबीआई पर दबाव बना रखा था कि इस मुद्दे पर कम से कम वर्णन करें ताकि अमेरिका की कैमिकल और परमाणु कम्पनियों को एक संदेश दिया जा सके कि इस तरह की आपदा यदि आपकी गलती से भी होती है तो आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। इस मुद्दे को इससे जोड़ना इसलिये अनिवार्य है क्योंकि परमाणु दायित्व विधेयक लंबित है, जिसमें अमेरिकी आधारित परमाणु व्यापारिक कम्पनियों पर कोई दायित्व नहीं डालता। संप्रग सरकार को अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करना चाहिये।

भारत सरकार को बिना किसी देरी के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना चाहिये।

(DEBABRATA BISWAS)

General Secretary